माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान

अजमेर

Temporary Registration ID : **106868**

विधालय कोड **1124063** क्रमांक - सम्बद्धता/ मा./2024/**1124063** दिनांक 03-Dec-2024

सम्बद्धता प्रमाण पत्र

DIGANTAR SECONDARY SCHOOL BHAVGARH, BANDHYA GONER ROAD POST-JAMDOLI BLOCK-SANGANER DISTT-JAIPUR, 302031 को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत क्रमोन्नति आदेश क्रमांक 2017-18/1775 दिनांक 13-Sep-2017 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम - 1957, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम - 1957 तथा उक्त दोनों में किए गए संशोधनों के तहत बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के सम्बद्धता संबंधी विनियम, के अध्याय 13, 13A, 13B में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नांकित विषयो मे माध्यमिक स्तर हेतु वर्ष 2018 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

अनिवार्य विषय : (1) Hindi (2) English (3) Science (4) Soc. Sci. (5) Maths (6) Rajasthan Addhyan (Rajasthan Study) (7) Physical and Health Education (8) Foundation of Information Technology (9) (i) SUPW AND CS (ii) Art Education
तृतीय भाषा : **Sanskrit,Urdu**
माध्यम :- **HINDI**

अनिवार्य शर्तें:-

1 सम्बद्धता हेतु निर्धारित मापदंडों के परीक्षण हेतु शिक्षा विभाग व बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा तथा अनियमितता या असन्तोषप्रद स्थिति पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्बद्धता निलम्बित / निरस्त की जाकर मान्यता निरस्त की अभिशंसा की जा सकेगी।

2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 के तहत बने विनियमों में समय-समय पर होने वाले संशोधन स्वतः प्रभावी होगें।

3 बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन हेतु विद्यालय भवन, समस्त स्टॉफ, फर्नीचर, उपकरण आदि बोर्ड के अधीन रहेंगे।

4 विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश/प्रवजन/पात्रता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों की पालना की जायेगी।

5 विद्यालय के कक्षा कक्षों में प्रति विद्यार्थी 10 वर्गफिट बैठक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

राकेश स्वामी
प्रभारी अधिकारी (सम्बद्धता)

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti
Secretary

HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124063)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031

विद्यालय - DIGANTAR VIDYALAY BHAVGARH (P13604) आवेदन क्रमांक : 17095

मान्यता कोड : RJJAI22400

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: जिशिअ/मा/जय/प्रथम/सेवा-6/मा.मान्यता(17-18)/ 1775 दिनांक 13 SEP 2017

सचिव
प्रबंध समिति
DIGANTAR VIDYALAY BHAVGARH

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 17095 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, DIGANTAR VIDYALAY BHAVGARH पता BHAVGARH BANDHYA GONER ROAD, POST-JAMDOLI, TEH. SANGANER, JAIPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAIPUR NN PART3 ब्लॉक SANGANER CITY को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्वता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

Diganțar Shiksha Evam Khelkud Samiti
Secretary

Pragya.
HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124063)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031

विद्यालय - DIGANTAR VIDYALAY BHAVGARH (P13604)

आवेदन क्रमांक : 17095

मान्यता कोड : RJJAI22400

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.)
जयपुर, प्रथम-जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

2 वरिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,.. संभाग.....................................।

5 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.)
जयपुर, प्रथम-जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti

Secretary

HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124063)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर

कार्यालय –आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर आदेश क्रमांक प.9 (2) शिक्षा–5/05 दिनांक 16.03.2011 व 21.04.2011 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/11–12 दिनांक 18.03.2011 व 25.04.2011 के अनुपालना में निम्नलिखित संस्थाओं को प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क्र.सं. 1 से 5 तक में निर्देष्ठि शर्तों व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकार किया जाता है :–

1– राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम –1993 के परिशिष्ट –2 में यथा निर्देशित निबन्धकों तथा शर्तों की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ– पत्र के अनुसार सभी शर्तें पूर्ति करती है

2– संस्था द्वारा राज्य सरकार/आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिला एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–2 उनके द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावें ।

3– संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश पा सकेगें, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

4– संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2011 –12 से क्रमोन्नत की जावेगी, क्रमोन्न प्रथम सत्र में कक्षा –6 में, सत्र 2012 –13 में कक्षा –7 में एवं सत्र 2013–14 में कक्षा –8 प्रारम्भ की जावेगी ।

5– कक्षानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डानुसार किये जावेंगे ।

6– भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा ।

7– दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की संबंधित शाखा में प्रस्तुत करेगें ।

8– कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा दी जावें ।

9– शिक्षा से वंचित परिक्षैत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10– शपथ पत्र वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण –पत्र/आदेश निरस्त किया जा सकेगा और संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

11–माननीय न्यायालय के पूर्वानुमति के शिक्षा सत्र 2011–12 में शुल्क वृद्धि नही करेगी, जो पूर्व में लिया जा रहा था, वही शुल्क लिया जावेगा । यदि कोई शुल्क बढा कर लिया जावेगा, जो माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध होगा। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जाने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जायेगा ।

12–अग्निशमन संयंत्रों की स्थापना कर कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें ।

13–शिक्षा अधिकार नियम 2010 के प्रावधानुसार छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा ।

14–हाईटेंशन लाईन एवं मोबाइल टॉवर विद्यालय भवन में नहीं लगाया जावे।

15–बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत धारा 19 व 25 विद्यालय के लिये (मान और मानक) की पालना एक वर्ष में कर अवगत कराना होगा अन्यथा मान्यता स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

16–निदेशालय एवं राज्य सरकार से समय–समय पर जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा मान्यता रद्द करदी जायेगी ।

17–..

क्र. सं.	नाम संस्था मय पता	क्रमो. का स्तर	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1.	आशियाना चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, 313/4 एच.आर.ए. कालोनी, चार दरवाजा, बाहर जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
2.	देव नेशनल एकेडमी, 13 ए. विजयपुरा, शिवा नगर, आगरा रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
3.	प्रेम पाठशाला, ग्राम. दूदू , जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
4.	एम.वी.एम. विद्यालय, अचरोल, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
5.	विकास पब्लिक स्कूल [illegible]	[illegible]	[illegible]

HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124063)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti
Secretary

क्र. सं.	नाम संस्था मय पता	क्रमो. का स्तर	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
8.	शिवम पब्लिक शिक्षण संस्थान, प्लाट नं. 2, मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
9.	कला विद्या पीठ, छान्देल कलां, चाकसू, जिला–जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
10.	आदित्य विद्या मंदिर, ढोल, जमवारामगढ़, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
11.	शिवा पब्लिक स्कूल, 563 चांदी की टकसाल, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
12.	भास्कर बाल विद्या मन्दिर बालाजी कालोनी बगरू प.स.–सांगानेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
13.	गुरुकुल विद्यापीठ, निमेड़ा, फागी, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
14.	मीरा चिल्ड्रन एकेडमी, बोराज, दूदू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
15.	एम.के. पब्लिक स्कूल, नींदड़, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
16.	दिगन्तर विद्यालय, खोनागोरियान रोड, भावगढ़ बंध्या, गोनेर रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
17.	जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल, प्लाट नं. 13 सेक्टर 28, प्रताप नगर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
18.	ज्योतिर्विनोद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोथून–चाकसू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	अंग्रेजी
19.	नर्बदा बाल भारती स्कूल, सावरदा, दूदू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
20.	शिव विद्या मन्दिर, न्यू कॉलोनी, गरूड़ वासी रोड चाकसू, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
21.	रामदास पब्लिक स्कूल, सीतारामजी का मन्दिर, गोनेर रोड, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी
22.	वात्सल्य शिक्षा निकेतन, बोल्याबाला, अचरोल, आमेर, जयपुर	उ.प्रा.वि.	हिन्दी

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर।

क्रमांकः जिशिअ / जय / प्राशि / सा–1 / फा – / मान्यता / 11–12 / 956–77 दिनांक 30/8/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप –5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.
5. संबंधित संस्था सचिव दिगन्तर विद्यालय, खो नागोरियान रोड, भावगढ़ बंध्या, गोनेर रोड जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर।

For Digantar Shiksha Evam Khelkud Samiti
(हस्ताक्षर)

Pragya
HEADMASTER
Digantar Secondary School (1124063)
Bhavgarh Bandhya (Kesar Vatika)
Near Sec-9 Indira Gandhi Nagar
Goner Road, Jaipur-302031